कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में जे.वी.वी.एन.एल. का कनिष्ठ अभियंता 7 हजार 500 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *12 जुलाई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर चतुर्थ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेश महला कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सब स्टेशन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अमरसर, शाहपुरा, जयपुर को परिवादी से **7 हजार 500 रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर चतुर्थ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि खातेदारी कृषि भूमि एवं मकान पर बिजली कनेक्शन जारी करने की एवज में राजेश महला कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सब स्टेशन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अमरसर, शाहपुरा, जयपुर द्वारा **20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री डॉ. रवि** के सुपरवीजन में एसीबी जयपुर नगर चतुर्थ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बलराम सिंह मीणा** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मूलचंद मीणा** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेश महला पुत्र श्री शुभराम जाट निवासी गांव माकड़ी, पुलिस थाना सिंधाना, जिला झुंझुनूं हाल कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सब स्टेशन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अमरसर, शाहपुरा, जयपुर को परिवादी से **7 हजार** 500 **रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कनिष्ठ अभियंता द्वारा एसीबी में शिकायत करने से पूर्व ही परिवादी से **15 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।